

(454)

107

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक: प.3(54)नवि/3/2011 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 15 JAN 2013

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, नगर सुधार न्यास, समस्त।

विषय- "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012" अवधि के दौरान अनुपयोगी/रिक्त नजूल सम्पत्तियां, जो राजकीय उपयोग में नहीं आ रही हैं, को सम्बन्धित विभागों/नगर निकायों को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने बाबत।

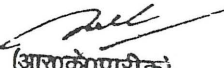
संदर्भ- मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक प.1(11)सम्पदा/2012 दिनांक 12.01.13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित मुख्य सचिव महोदय के पत्र की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि नगरीय निकायों में अवस्थित समस्त अनुपयोगी/रिक्त नजूल सम्पत्तियों को गैर-व्यावसायिक जन-प्रयोजनार्थ निःशुल्क नगरीय निकायों/राजकीय विभागों को हस्तान्तरित किए जाने हेतु संबंधित जिला कलक्टरों को निर्देश प्रदान किए गए हैं तथा इस संबंध में जिला कलक्टरों से प्रमाण पत्र भी चाहे गये हैं। हस्तान्तरित की जाने वाली सम्पत्ति का व्यावसायिक उपयोग या बेचान नहीं किया जायेगा।

कृपया अविलम्ब संबंधित जिला कलक्टर से सम्पर्क कर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संदर्भित पत्र से दिये गये निर्देशों की अनुपालना के लिए तत्काल कार्यवाही करवायें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

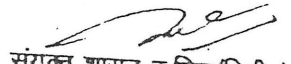
भवदीय,


(आरोपकारीक)

संयुक्त शासन सचिव(द्वितीय)

प्रतिलिपि :- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि आप भी अपने स्तर पर तत्काल सभी नगरपालिका संस्थाओं को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।


संयुक्त शासन सचिव(द्वितीय)

(382)